FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

हरप्रीत कौर बनाम सुखचैन सिंह आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी प्रकरण संख्या 06 सन् 2025

जी.सी.एम.एस नम्बर 2025/130

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.04.2025	प्रार्थी हरप्रीत कौर पुत्री महल सिंह पत्नी सिकन्दर सिंह जाति महजबी सिख निवासी कुब्बेवाला हाल आबाद चक 2 एफएफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री रामदास सोंलकी के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 2 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 36 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 17, 25/1 में 0.379 हैक्टेयर भूमि में से 2/3 हिस्सा के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे । [signature]	
29/09/25	पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC को 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) — सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर एव पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)